



श्री

1556

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 1538/2013

पेशी दिनांक : 22/11/2017

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर
PBR/ पुनर्स्थापन/इन्दौर/श्री रा 2017/4629

----- प्रार्थी

गजेंद्र कुमार/अधिवक्ता निकलेश

निमित्त 22/11/17

श्री 1556/17

22/11

पी.डी.अग्रवाल

वि रु इ

----- प्रतिप्रार्थी

आवेदन-पत्र : अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सहपद्धति धारा 151

व्यवहार प्रक्रिया संहिता

माननीय महोदय,

प्रार्थी तर्फे प्रार्थना है कि :-

1 यह कि, उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहा होकर प्रकरण में दो-तीन बार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण की पेशी तारीख ज्ञात करने हेतु उपस्थित हुए, किन्तु इस दौरान संबंधित रीडर महोदय द्वारा फाईल नहीं मिलने बाबद जानकारी दी गयी। प्रार्थी अभिभाषक द्वारा भी काफी प्रयास के बाद जानकारी हासिल नहीं हो सकी, जिसके कारण प्रार्थी अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो पाने में असमर्थ है।

2 यह कि, आज दिनांक को दोपहर 2 बजे पश्चात जब प्रार्थी अधिवक्ता माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए तो उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रकरण की फाईल रेकार्ड पर मौजूद रही होकर प्रार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थितिबश प्रकरण निरस्त कर दिया गया है।

3 यह कि, उपरोक्त समस्त परिस्थिति में प्रार्थी अधिवक्ता की अनुपस्थिति का सदभावनापूर्वक, योग्य एवं वास्तविक कारण होकर प्रकरण को पुनः रेकार्ड पर लिया जाना न्यायहित में परमआवश्यक है।

:: 2 ::

अव्यथा प्रार्थी उचित न्याय प्राप्त करने से वंचित रह जावेगा एवं उसे गंभीर व अपूरणीय क्षति होगी।

अतः माननीय न्यायालय से विनम्र प्रार्थना है कि, आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को पुनः रेकार्ड पर लिये जाने की कृपा होवे। यही विनय है।

इन्दौर

दिनांक : 22/11/17

प्रस्तुतकर्ता



प्रार्थी तर्फे अधिवक्ता



निष्पत्ति / पी. डी. अडवाली

PBR/Resub/उंफॉ/२.२१/२०१७/५६२९

19-6-18

नामक (आवेदनकर्ता) श्री राजेश कुमार (उपरोक्त) उन्हें रेस्टोरेशन पर मुग। रेस्टोरेशन आवेदन फीका किया जाया है। मूल निगरानी प्रकरण क्र. 1556-PBR/13 पुनः नम्बर पर किया जाता है। इस प्रकरण में कोई कार्रवाई होय नहीं है। अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है।

~~Restored~~

अडवाली

Notes
O.M. Kishore
प्रकरण 5 /
No objection
for Restored

[Handwritten signature]
2018